

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2019/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुखसं/ 1979 दिनांक 19/7/24

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:- Diversion of 0.90 ha. of forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR for Construction of Approach road jhalrapatan railway station. (प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

संदर्भ:- शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक प. 1(30)वन/2020 जयपुर दिनांक 04.10.2021

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, कोटा से प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट बिन्दुवार प्रेषित है:-

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जावेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जावेगी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफआरए सर्टीफिकेट प्रस्तुत करवायेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफआरए सर्टीफिकेट मय संलग्नक प्रेषित है।

9	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेंगे की अण्डर टेकिंग संलग्न है।																				
10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राशि 1,45,253/- +4035/- कुल = 1,49,288/- जमा करा दी गयी है।																				
11	उक्त क्षेत्र खनन एवं अतिक्रमण के लिए संवेदशील है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के व्यय पर कुल 600 र. मी. पक्की दीवार का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर करवायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के व्यय पर कुल 600 र.मी. पक्की दीवार का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर करवा दिया गया है।																				
12	प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित स्थल पर आ रहे शहरी वृक्षारोपण वर्ष 2017-18 में बक्शपुरा में कुल 1 है। में व्यय राशि 158725/-रु जमा करवायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित स्थल पर आ रहे शहरी वृक्षारोपण वर्ष 2017-18 में बक्शपुरा में कुल 1 है। में व्यय राशि 158725/-रु जमा करवा दी गई है।																				
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दि. 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण की राशि 5,63,400/- कैम्पा खाते में जरिये ई-चालान जमा करा दी गई है। कुल जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है- (रसीद संलग्न) <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या</th><th>मद</th><th>जमा राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>10</td><td>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण</td><td>149288/-</td></tr><tr><td>2</td><td>13</td><td>एनपीवी</td><td>563400</td></tr><tr><td>3</td><td>12</td><td>शहरी वृक्षारोपण बक्शपुरा में व्यय राशि</td><td>158725</td></tr><tr><td colspan="3">योग:-</td><td>871413/-</td></tr></table>	क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या	मद	जमा राशि	1	10	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	149288/-	2	13	एनपीवी	563400	3	12	शहरी वृक्षारोपण बक्शपुरा में व्यय राशि	158725	योग:-			871413/-
क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या	मद	जमा राशि																			
1	10	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	149288/-																			
2	13	एनपीवी	563400																			
3	12	शहरी वृक्षारोपण बक्शपुरा में व्यय राशि	158725																			
योग:-			871413/-																			
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हों जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।																				
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।																				

16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
----	---	---

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2019/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/
प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

दिनांक

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

: This icon shows that the payment yet to be made.

: This icon shows that the challan has been generated.

: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : ☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All

Bank Name : Mode of Payment :

Transaction Date (From) : Transaction Date (To) :

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/38150/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/38150/2019) Construction of Approach road Jhalra patan railway station	ROAD381502019407	04 Oct 2021	CA: 4035/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- NIL: 0/- Total: 4035/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On 23 Jan 2024 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 23 Jan 2024 Transaction Date 07 Feb 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/160120241818027174_FPRJROAD381502019_User_Fund_Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD381502019:07
2	FP/RJ/ROAD/38150/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/38150/2019) Construction of Approach road Jhalra patan railway station	ROAD381502019171	04 Oct 2021	CA: 145253/- Addl CA: 158725/- PCA: 0/- CAT: 0/- Safety Zone: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 563400/- nil: 0/- nil: 0/- nil: 0/- nil: 0/- Total: 867378/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On 13 Dec 2021 Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 16 Dec 2021 Transaction Date 24 Dec 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121220211939033865_FPRJROAD381502019_User_Fund_Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD381502019:171

verified



BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Digital India

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

india.gov.in

(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

my Gov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

MeitY

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

फाइल नं. (एफसीए/उवसं/2024/155

दिनांक: 10/11/24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Diversion of 0.90 ha. of forest land in favour of public works Department
Jhalawar for Construction of approach road Jhalrapatan railway station.
PROPOSAL NUMBER(FP/RJ/ROAD/38150/2019)

प्रसंग :- अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ के पत्रांक 2857 दिनांक 22.12.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक प. 1 (30) वन/2020 दिनांक 04.10.2021 से प्रदान की गई थी। प्रासंगिक पत्र की पालना में प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रस्तावित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां जी, प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	यानक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, जी प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	जी हां, प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसीन तेल आपूर्ति की जावेगी ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	जी हां, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसीन तेल आपूर्ति की जावेगी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	जी हां, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण सैधांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफआरए सर्टीफिकेट प्रस्तुत करवायेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफआरए सर्टीफिकेट संलग्न प्रेषित है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेंगे।	जी हां, प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेंगे की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

10	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा वृक्षों से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए तथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।																									
11	उक्त क्षेत्र खनन एवं अतिक्रमण के लिए सवेदशील है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के व्यय पर कुल 600 र.मी पक्की दीवार का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर करवायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के व्यय पर कुल 600 र.मी पक्की दीवार का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर करवा दिया गया है।																									
12	प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित स्थल पर आ रहे शहरी वृक्षारोपण वर्ष 2017-18 में बवशपुरा में कुल 1 है। में व्यय राशि 158725/-रु जमा करवायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित स्थल पर आ रहे शहरी वृक्षारोपण वर्ष 2017-18 में बवशपुरा में कुल 1 है। में व्यय राशि 158725/-रु जमा करवा दी गई है।																									
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुख्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	जी हाँ, उक्त वन संरक्षक झालावाड के पत्रांक 10498 दिनांक 09.12.2023 के द्वारा प्रेषित डिमाण्ड राशि मदवार विवरण निम्न प्रकार है:- <table><tr><th>क्र. सं.</th><th>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या</th><th>मद</th><th>डिमाण्ड नोट (श्रमिक 252रु)</th><th>जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>शर्त संख्या 10</td><td>क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण</td><td>145253</td><td>0</td></tr><tr><td>2</td><td>शर्त संख्या 13</td><td>एनपीवी</td><td>563400</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>शर्त संख्या 12</td><td>शहरी वृक्षारोपण बवशपुरा में व्यय राशि</td><td>158725</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">योग:-</td><td>867378</td><td>0</td></tr></table> उक्त राशि प्रयोक्ता एजेसी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को ऑनलाईन जमा करवा दी गई है। प्रति संलग्न है।	क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या	मद	डिमाण्ड नोट (श्रमिक 252रु)	जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि	1	शर्त संख्या 10	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	145253	0	2	शर्त संख्या 13	एनपीवी	563400	0	3	शर्त संख्या 12	शहरी वृक्षारोपण बवशपुरा में व्यय राशि	158725	0	योग:-			867378	0
क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या	मद	डिमाण्ड नोट (श्रमिक 252रु)	जमा करवायी जाने हेतु शेष राशि																							
1	शर्त संख्या 10	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	145253	0																							
2	शर्त संख्या 13	एनपीवी	563400	0																							
3	शर्त संख्या 12	शहरी वृक्षारोपण बवशपुरा में व्यय राशि	158725	0																							
योग:-			867378	0																							
14	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हो जी है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हाँ, जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।																									
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रयोक्ता संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।																									
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं	जी हाँ, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छायाप्रति संलग्न है।																									

जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज
पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय
अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के
अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित

है।
संलग्न :- 1. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
2. समाचार पत्र की प्रति।

भवदीय

ॐ/ (वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/156-57
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 10/11/24

- 01 अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज० जयपुर।
- 02 अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड झालावाड।

ॐ/ उप वन संरक्षक
झालावाड

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-231131, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ (.)सर्वे/उवस/2024/ 10188
निमित्त :-

दिनांक: 16.07.24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- Diversion of 0.90 ha. of forest land in favour of public works Department Jhalawar for Construction of approach road Jhalrapatan railway station.

PROPOSAL NUMBER(FP/RJ/ROAD /38150 /2019)

प्रसंग:- उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए) अरण्य भवन जयपुर के पत्रांक 1375-76
30.05.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र से Diversion of 0.90 ha. of forest land in favour of public works Department Jhalawar for Construction of approach road Jhalrapatan railway station प्रकरण में लगाये गये ईडीएस की पूर्ति निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं	ईडीएस	ईडीएस का जवाब
1	उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा स्वयं के द्वारा जारी No Violation Certificate स्वयं द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी का पत्र मान्य नहीं है।	संशोधित Violation / No Violation Certificate संलग्न प्रेषित है।
2	प्रकरण में राशि 4035/-रु का भुगतान होना दर्शाया गया है किन्तु उक्त भुगतान ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। कृपया इसे ऑनलाईन करवायें यदि आवश्यकता हो तो 12 कॉलम का प्रमाण पत्र मय यूटीआर नं० सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें। ताकि जमा राशि का एडहॉक कैम्पा से मिलान करवाया जा सकें।	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 675 दिनांक 11.07.2024 से अवगत कराया गया है कि राशि 4035/-रु ट्रेजरी वाउचर नं. 68120 दिनांक 07.02.2024 से कैम्पा फंड में जमा करवा दिये गये है। साथ ही ऑनलाईन पोर्टल पर भी प्रदर्शित हो रही है। पत्र संलग्न प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सागर पवार IFS)

उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ (.)सर्वे/उवस/2024/

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक:

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड

Tele-Fax-07432-232230, E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

Full Title of the Project : Construction of approach road Jhalrapatan railway station.

Proposed Area : 0.90 Ha

Proposal No. : FP/RJ/ROAD/38150/2019

NO VIOLATION CERTIFICATE

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित प्रकरण: Construction of approach road Jhalrapatan railway station. में यूजर एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

Date:- 12-07-2024

Place:- Jhalawar



(Sagar Pawar)

Deputy Conservator of
Forests Jhalawar

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक:- 675

दिनांक:- 11/7/2024

श्रीमान उपवन संरक्षक

झालावाड़

विषय:- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Construction of Approach road Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar.

(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2019)

प्रसंग:- आपके पत्र क्रमांक एफ (सर्वे)/उवसं/2024/8963 दिनांक 04.07.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रारंभिक पत्र से Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Construction of Approach road Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2019) प्रकरण में बिन्दु संख्या 02 में चाही गई सूचना के सम्बन्ध में निवेदन है कि राशि रु. 4035/- का भुगतान ट्रेजरी वाउचर नं. 68120 दिनांक 07.02.2024 द्वारा पूर्व में कैम्पा फण्ड में जमा करवा दी गई थी। वर्तमान में राशि रु. 4035/- का भुगतान ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रदर्शित है जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

भवदीय

(हुकम चन्द मीना)

अधिशाषी अभियन्ता

सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-

1. श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़।



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

100

the time concerning the research project, history and

क्रमांक : 2857

दिनांक : 22/11/2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक
झालावाड़

विषय:- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road Jhalrapatan
Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020) की अन्तिम स्वीकृति जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव में मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of approach road Jhalrapatan railway station 0.90 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.90 ha. Of forest land in favour of Public Works Department Jhalawar for Construction of approach road Jhalrapatan railway station की सैद्धान्तिक स्वीकृति 11 वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों की पालना बिन्दुवार विभाग द्वारा की जा चुकी है :

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।
5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/प्रत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट जारी करवाकर, उपवन संरक्षक झालावाड़ को प्रेषित कर दी गई है।
9. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

10. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
11. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एक क्षेत्र में खनन एवं अतिक्रमण के लिए संवेदनशील है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर कुल 600 मी. पक्की दीवार (4 फीट ऊँचाई) तक निर्माण करवा दिया गया है।
12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित स्थल पर आ रहे शहरी वृक्षारोपण वर्ष 2017-18 में बकशपुरा में कुल एक हेक्टेयर में व्यय राशि 158725/- रुपये जमा करवा दिये गये हैं।
13. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010&CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरुपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।
14. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।
15. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।

सा.नि.वि. द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना कर दी गयी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि उक्त निर्माण हेतु अन्तिम स्वीकृति जारी करने का श्रम करावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(हुकमचन्द माना)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

क्रमांक : 2857

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई) सा.नि.वि. राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि. संभाग, कोटा।
3. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड़।

दिनांक : 22/12/2023

(हुकमचन्द माना)
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : २२५०

दिनांक : १०/०२/२०२२

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Construction of Approach road Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. १ की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

(आर.के. सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

Office Letter New

75
कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

②

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2
की अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के
अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(सागर प्रसाद IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सोनी)
अधिषाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Office Letter No. 2

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

③

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Construction of Approach road Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

दा
(आर.के.सोनी)
अधिराषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

उप वन सभा
झालावाड

Diff. Letter New 3

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Construction of Approach road Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Office Letter No. 2

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5
की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी
भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

ONK Letter New 5

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works Department Jhalawar for Construction of Approach road Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वन क्षेत्र को क्षति न हो।


(सागर पटेल IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(आर.के.सीनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Office Letter No. 6

आयोग अधिवासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

(7)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7
की अनुपालना में उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से /पर
निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।

(सागर प्रियार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सीनी)
अधिवासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Office Ld. No. 7

76

आदेश अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

8

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8
की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जिला कलेक्टर से संशोधित एफ आर.ए. सर्टिफिकेट
जारी करवाकर राज्य सरकार में प्रेषित कर दी गई है।

(संगर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.क.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

FORM-I

(For linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Jhalawar, Rajasthan

TO WHOMSOEVER MAY CONCERN

No. F 22/MADA/ 2021-21/ 2877-78

Date 23.11.2021

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter no. 11-9/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purpose read with MoEF's letter dated 5 February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.90 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Public work Department Div Jhalawar for construction of approach Road Jhalapatan Railway Station in Jhalawar District falls within jurisdiction of Bakshpura in Jhalapatan tehsils.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.90 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure (i) to annexure(X)
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pro agricultural communities.

Encl :- As above

Signature

(District Collector & District Magistrate)

Jhalawar

Date 23.11.2021

F 22/MADA/2021-22/ 2877-78

By to the Executive Engineer PWD Div. Jhalawar for N/A

(District Collector & District Magistrate)

Jhalawar

(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा -03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 23/11/2021 को दोपहर 12:00 जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड़ की बैठक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें संलग्न सूचि के अनुसार पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सड़क निर्माण सम्पर्क सड़क झालावाड़ रेलवे स्टेशन सड़क निर्माण में 0.90 हेक्टेयर भूमि आती है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन (Diversion) हेतु सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है ना ही वन क्षेत्र में कोई दावा सम्बन्धित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार सम्पर्क सड़क जिनके संबंध में अधिशापी अभियन्ता सानि. विभाग खण्ड झालावाड़ के द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि को जायवर्जन करने की अभिरक्षा की जाती है।

क्र.सं.	नाम ग्राम	नाम सहसील	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टेयर में	किरम
1	झालावाड़	झालावाड़	84/151	0.900	रे.मु. जगलाल
			कुल योग	0.900	

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद झालावाड़

उपवर्गे सरक्षक

झालावाड़

जिला कलेक्टर

झालावाड़

क्रमांक एफ 22/साडा/2021-22/2872-76

दिनांक :- 23.11.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, झालावाड़
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़
3. उप खण्ड अधिकारी झालावाड़
4. अधिशापी अभियन्ता सानि.विभाग खण्ड झालावाड़
5. सक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एवं परियोजना अधिकारी

जिला परिषद, झालावाड़

कार्यालय अधिषासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में
वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का
पालन करेगा।

(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सीनी)
अधिषासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Office Letter New 29

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।

(सिग्नेचर)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

Me

(आर.के.सोनी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

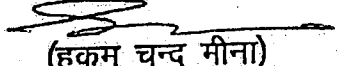
क्रमांक : १६५७

दिनांक : २२/१२/२०२३

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एक क्षेत्र में खनन एवं अतिक्रमण के लिए संवेदनशील है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर कुल 600 र.मी. पक्की दीवार (4 फीट ऊँचाई) तक निर्माण प्रस्तुत स्थल पर करवा दिया गया है।


(हुकम चन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़


(सागर पुरोहित IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिवासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : २२१०

दिनांक : १०/०२/२०२२

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. १२ की अनुपालना में
प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित स्थल पर आ रहे शहरी वृक्षारोपण वर्ष २०१७-१८ में
बकशपुरा में कुल एक हेक्टेयर में व्यय राशि १५८७२५/- रुपये जमा करवा दिये गये
हैं।

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सीनी)
अधेशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

कार्यालय अधिषाशी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 22410

दिनांक : 10/02/2022

अभिलिखित सहमति (अन्धरेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

1. प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.08.2018 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दी गई है। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करा दी गई है। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी राशि का मदवार विवरण) चालान व बिल की छायाप्रति संलग्न है।

(सागर प्रवार IFS)
उपवन संरक्षक
झालावाड़

(आर.के.सोनी)
अधिषाशी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Office Letter No. 13

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : २२१/०

दिनांक : १०/०२/२०२२

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. १४ की
अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जावेगी।

(
(सागर पट्टर IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(
(आर.के.सोनी)
अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़



DATE: 10/02/2022

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिषापी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़ जिला झालावाड़

क्रमांक : 2240

दिनांक : 10/02/2022

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Diversion of 0.90 ha. of forest land to favour of Public works
Department Jhalawar for Construction of Approach road
Jhalrapatan Railway Station Distt. Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/38150/2020)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 18 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करा दी गई है। एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।


(सागर पटेल IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(आर.के.सोनी)
अधिषापी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड झालावाड़

Office Letter No. 178

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jalpur

Date:

Reference No.:

No.: 11506, Dated: 17/12/2021

Division Name: XEN PWD DN. JHALAWAR, Division Code: 16598

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payment (Contingency/Misc)

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: A/R Jhalrapatan Railway Station, A/R Jhalrapatan Railway Station, A/R Jhalrapatan Railway Station

Vendor Name: RAJASTHAN CAMPA

Sanction/Autorization/Bill No: 0 Dated: 16/12/2021

Budget Head: 5054-04-789-03-00-74-V-P,
5054-04-796-05-00-74-V-P, 5054-04-800-06-
00-74-V-P

Reason: Cleaning Expenses

Bank Details: AccountNo.- 150856138150171, IFSC Code: UBIN0903710

Total amount payable to the contractor or supplier in Figures: 8,67,378 (In Words): Rupees Eight Lakh Sixty Seven Thousand Three Hundreds Seventy Eight Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount
Net Amount Payable in Figures: 8,67,378 (In Words): Rupees Eight Lakh Sixty Seven Thousand Three Hundreds Seventy Eight Only			

Received fromsum of Rs.(Rupees.....) on account of (Work Name)....purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड

Signature of DA with seal

अधिसूचना
For Use in Divisional Office
सा. नि. विभाग खण्ड प्रथम
झालावाड (राज.)
कोड नं 16598
Signature of DO with seal

Treasury Bill Details

85

Bill No. : 0	Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA		
Bill Date : 17/12/2021	Bill Amount : 164000		
Budget Head : 5054-04-789-03-00-74-V-P	WAM Bill: #1/3 of 11506		
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	अधिसापि अभियन्ता विभाग खण्ड प्रथम Payment thru Treasury (राज)	164000
कोड न 16598			Total : 164000

Bill No. : 0	Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA		
Bill Date : 17/12/2021	Bill Amount : 124509		
Budget Head : 5054-04-796-05-00-74-V-P	WAM Bill: #2/3 of 11506		
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	Payment thru Treasury	124509
			Total : 124509

Bill No. : 0	Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA		
Bill Date : 17/12/2021	Bill Amount : 578869		
Budget Head : 5054-04-800-06-00-74-V-P	WAM Bill: #3/3 of 11506		
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	Payment thru Treasury	578869
			Total : 578869

Software developed by NIC, Jaipur

(सागर पट्टार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

NOL

Date : 17/12/2021		Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA	
Budget Head : 5054-04-789-03-00-74-V-P		Bill Amount : 164000	
		WAM Bill: #1/3 of 11506	
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	Payment thru Treasury	164000
Total :			164000

Bill No. : 0		Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA	
Bill Date : 17/12/2021		Bill Amount : 124509	
Budget Head : 5054-04-796-05-00-74-V-P		WAM Bill: #2/3 of 11506	
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	Payment thru Treasury	124509
		Total :	124509

Bill No. : 0		Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA	
Bill Date : 17/12/2021		Bill Amount : 578869	
Budget Head : 5054-04-800-06-00-74-V-P		WAM Bill: #3/3 of 11506	
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	Payment thru Treasury	578869
Total :			578869

Software developed by JIC, Jaipur

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

Treasury Bill Details

Bill No. : 0		Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA	
Bill Date : 17/12/2021		Bill Amount : 164000	
Budget Head : 5054-04-789-03-00-74-V-P		WAM Bill: #1/3 of 11506	
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	Payment thru Treasury	164000
Total :			164000

Bill No. : 0		Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA	
Bill Date : 17/12/2021		Bill Amount : 124509	
Budget Head : 5054-04-796-05-00-74-V-P		WAM Bill: #2/3 of 11506	
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	Payment thru Treasury	124509
Total :			124509

Bill No. : 0		Vendor's Name : RAJASTHAN CAMPA	
Bill Date : 17/12/2021		Bill Amount : 578869	
Budget Head : 5054-04-800-06-00-74-V-P		WAM Bill: #3/3 of 11506	
Sno	Head	Description	Credit
1	0000-00-000-00-00	Payment thru Treasury	578869
Total :			578869

Software developed by NIC, Jaipur

अधिशायी अभियन्ता
सा नि विभाग खण्ड प्रथम
झालावाड़ (राज)
कोड न 16598

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

No

Nr 11506
17/12/21

P.W.D.M.F.No.28

(Sec Chap. XIV. Paras 440, 446 406)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Building & Road Branch
HAND RECEIPT of Rajasthan Campa
for Rs. 867378/-

Cash Book Voucher No.

Passed for Rs. 867,378/-
(Eight Lacs Sixty seven thousand three
hundred seventy eight only)

(1) Pay byfor
Cheque
Cash

(2) Paid by me "PD."

अधिराषी अभियन्ता

सा०नि०वि० खण्ड

झालावाड़

Received From The Executive Engineer PWD Division Jhalawar Rs. 867,378/-

Name of work for which payment is made Construction of Approach road
Jhalrapatan railway station

of pay bill Voucher No.

HR entered in M.B. No. 669/2018 on Page No. 19

(Stamps)

Signature of Payee

For use in the Divisional office

For use in the Accountant General's office

Checked

Auditor

Reviewed

Accounts Clerk, Divisional officer, Auditor

Supdt.

G.O

The Officer authorizing payment should initial and date the pay order after scoring out word "cheque" or "cash" as the case may be.

The person actually making the payment should initial and date payment certificate (2).

In the case of works the accounts of which are kept by sub-heads the amounts chargeable to each sub-head should be specified by the disbursing officer.

Payment should be attested by some known person when the payee's acknowledgment is give by mark seal or thumb impression.

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-12-2021

Agency Name,	PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR
Application No.	6138150171
MoEF/SG File No.	1(30)FOREST/2020
Location,	RAJASTHAN
Address,	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR/Jhalawar
Amount(In Rs)	887378/-

Amount In Words : Eight Lakh Sixty-Seven Thousand Three
Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTH/ N CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856138150171 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

* This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-12-2021

Agency Name,	PUBLIC WORKS DEPARTMENT JHALAWAR
Application No.	6138150171
MoEF/SG File No.	1(30)FOREST/2020
Location,	RAJASTHAN
Address:	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. JHALAWAR Jhalawar
Amount(In Rs)	887378/-

Amount In Words : Eight Lakh Sixty-Seven Thousand Three
Hundred and Seventy-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150856138150171 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003

* This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

forestclearance.nic.in/Use_Agency/NEFT_ChallanCorp.aspx?Id=ROAD381502019171

(संलग्न पत्रांक 113)
उप वन संरक्षक
भालावाड़

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

क्रमांक : 10498

दिनांक : 09-12-21

निमित्त : अधिशाषी अभियंता

प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व पता : सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड झालावाड़

राशि मांग पत्र

1. प्रस्ताव का नाम व क्रमांक : Construction of Approach road Jhalrapatan railway station

File No. : FP/RJ/ROAD/38150/2020

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति का विवरण : क्रमांक प. 1 (30) वन/2020 दिनांक 04.10.2021

3. वन्यजीव स्वीकृति का विवरण : -

4. प्रत्यावर्तन होने वाली वनभूमि का विवरण (हे0)

CATEGORY	RESERVED FOREST	PROTECTED FPREST	UNCLASSIFIED FOREST	DEEMED FOREST	OTHERS	TOTAL
Area (ha)	-	0.90	-	-	-	0.90

5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिह्नित भूमि का विवरण

Category	Non Forest Land	Degraded Forest Land	Total
Area (ha)	0	0.90	0.90

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव में जारी स्वीकृति की पालना में निम्नानुसार वर्णित राशि जमा कराने की व्यवस्था करावे एवं पालना से अवगत करावे :

स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक	अधिरोपित शर्त विवरण (स्वीकृति में अंकित शर्त का लिखें)	मांग राशि का मद	क्षेत्रफल (हे0) / संख्या / मात्रा	दर / सूत्र (श्रमिक 252/-)	गणना दर	राशि	राशि जमा कराये जाने का मद/खाते का विवरण	वि0 वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	
13	एन.पी.वी की राशि	NPV	0.90	626000/- हे0	563400	कैम्पा अकाउंट में ऑनलाइन जमा करवायी जानी है।		
		C.A.(NFL)						
10	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि	C.A.(DFL)	0.90	161392/- ha	145253	कैम्पा अकाउंट में ऑनलाइन जमा करवायी जानी है।		
		Medicinal Plant/divast plant						
		Penal CA						
		Penal NPV						
		Safety Zone						
		Inner boundary						
11	उक्त क्षेत्र खनन एवं अतिक्रमण के लिए संवेदनशील है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं के व्यय पर कुल 600 र.मी. पक्की दीवार (4 मीटर ऊंचाई) की निर्माण प्रस्तावित स्थल पर करवायेगी।	Outer boundary	600 र.मी. मीटर	2820/- प्रति र.मी. मीटर		प्रयोक्ता एजेंसी को स्वयं के व्यय पर 600 र.मी. (4 मीटर ऊंचाई) दीवार का निर्माण प्रस्तावित स्थल पर करवाया जाना प्रस्तावित है।		
		Cost of Survey, demarcation and boundary Pillars						
		1.5 times Safety Zone						
		DFL						
		Cost of tree Cutting						
		Muck Disposal						

कार्यालय अधि. अभि. रा. नि. वि. खण्ड झालावाड़
पत्र प्राप्ति नं० 1830
दिनांक 13-12-2021
R.G. O.A. D.A.O. T.A. F.E.

(सागर पवार)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

किरण प्रस्तावित स्थल पर आ रहे शहरी वृक्षारोपण वर्ष 2017-18 में बक्सपुरा में कुल एक हे० में व्यय राशि 158725/- रु जमा करायेगी।						
योग					867378	

(संग्राम सिंह कटियार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक :

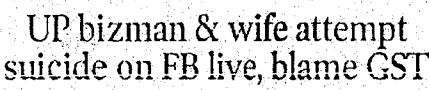
दिनांक : ०१.१२.२१

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज० जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

(सागर प्रवर्त IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़



Scanned with O

amScanner

दि ब्रांड की पतंगें

आज सूर्यदेव की पूजा और दान-पुण्य का महत्त्व



सूर्यदेव की पूजा और दान-पुण्य का महत्त्व

सूर्यदेव की पूजा और दान-पुण्य का महत्त्व

सूर्यदेव की पूजा और दान-पुण्य का महत्त्व

सूर्यदेव की पूजा और दान-पुण्य का महत्त्व

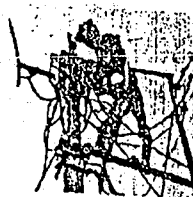
महिलाओं ने पौष बड़ा महोत्सव मनाया



महिलाओं ने पौष बड़ा महोत्सव मनाया

महिलाओं ने पौष बड़ा महोत्सव मनाया

बकायदारों के कनेक्शन काटे



बकायदारों के कनेक्शन काटे

कार्यशाला में लिया भाग

कार्यशाला में लिया भाग

कांग्रेस की पुरानी परंपरा को कायम रखें



कांग्रेस की पुरानी परंपरा को कायम रखें

एनपीएस अधिसूचना के विरोध में आज प्रदर्शन करेंगे

एनपीएस अधिसूचना के विरोध में आज प्रदर्शन करेंगे

राजस्थान सरकार
वन विभाग

राजस्थान सरकार
वन विभाग

राजस्थान सरकार
वन विभाग

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोल

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोल

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पूरा मजदूरी	पूरा मजदूरी	अवशेष राशि (नगरीय कर को मिलाई) प्रत्येक	प्रति मास	प्रति मास	प्रति मास	प्रति मास
1	गणेश नर अर्जुन	206	75x15	7500/-	8000/-	83300/-	83300/-	83300/-
2	गणेश नर अर्जुन	528	75x15	12500/-	3200/-	125900/-	125900/-	125900/-
3	गणेश नर अर्जुन	06	20x40	12000/-	6100/-	99200/-	99200/-	99200/-

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोल

सागर पट्टार IFS
उप वन संरक्षक
झालावाड़